Volume-4, Issue-3, March-2015 • ISSN No 2277 - 8160

Research Paper Sociology

मुरैना जिले में घटता लिंगानुपात एक सामाजिक समस्या

Dr.Sadhna Tomar Head Dept. of Socialogy Govt. V.R.G.P.G.College Morar (Gwalior)

Dr.Shailendra Singh Tomar Head Dept. of Geography M.L.B.Govt.College of Excellence Gwalior

KEYWORDS :

''शिवः षक्त्या मुक्तो यदि भवति षक्तः प्रभविंतु।
न चे देवं देवो न खलु कुषलः स्पन्दि तुमपि।।''
अर्थात शिव जब षक्ति से युक्त होता है तब वह सृश्टि का निर्माण करने में समर्थ होता है अन्यथा उसमें स्पन्दन तक सम्भव नहीं है।

वैदिक काल में लिखी गयी इन उक्तियों में स्त्री की स्थि. ति को पुरूश से ऊपर रखा गया। इन विद्वानों को स्त्री की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक भूमिका के महत्व का भान था। किन्तु बाद में सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों तथा परम्पराओं के कारण स्त्रियों की स्थिति में लगातार पराभाव होता रहा ।

समाज के विकास की प्ररम्भिक अवस्था में समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। सभ अधिकार स्त्री के पास ही थे। इसी कारण सृश्टि की आरम्भिक देवता के रूपमें देवी की स्तुति की गयी।

धीरे–धीरे परवर्ती काल में सम्पत्ति की अवधारणा विकसि होने पर समाज पुरूश प्रधान हुआ तथा पितृ सत्तात्मक परिवारों की स्थापना होने लगी। पुत्र का सम्पत्ति पर अधिकार हुआ। स्त्री के द्वारा सन्तान उसी पुरूश की वैध सन्तान हो, इस अवधारणा ने स्त्री के अधिकारों व स्वतन्त्रता को सीमित किया। स्त्री की स्थिति निम्न होने का यह महत्वपूर्ण कारण बना जिसने उसको समाज में दोयम दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया।

समस्या का स्वरूप

आज इक्कीसवीं सदी में विकास के नवीन सोपानों को हम छू रहे हैं। नित नवीन वैज्ञानिक उपलब्धियॉ प्राप्त कर रहे है। परन्तु समाज में मध्ययुगीन बर्बर परम्परायें आज भी विद्यमान है। पुत्र प्राप्ति की अदम्य लालसा ने कन्या का जन्म लेना ही रोक दिया है। ब्रम्हा जी के पष्चात् सृश्टि की रचियता जन्म देने वाली मॉ को समाप्त करने का दौर चल पड़ा है। किसी–किसी स्थिति में नारी ही नारी को समाप्त कर रही है। अपनी कोख में पुत्र को पालने का सुनहरा सपना देखना चाहिती है। नवीन वैज्ञानिक तकनी. कों ने इसे और अधिक सरल बना दिया है।

लिंग परीक्षण की नवीन तकनीकों ने गर्भ में ही भ्रूण को पता लगाने और उन्हें समाप्त करने में सहयोग दिया है। ऐसे गर्भपातों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये संसद में एक विधेयक पास हुआ। परन्तु आज विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कानून बन जाने से मादा भ्रूण हत्या रूक जायगी अथवा इस कानून का भी दुरूपयोग होगा। समाज में आवश्यकता ऐसे कानूनों के व्यावहारिक परिपालन से है। समाज में महिलाओं को समुचित सुरक्षा एवं निर्णय का अधिकार देने की आवश्यकता है।

कुछ महिला डाक्टरों से बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि यह समस्या प्रमुख रूप से उन परिवारों में ज्यादा है जहॉ पहले से ही दो या अधिक पुत्रियॉ जन्म ले चुकी है। अधि ाक पुत्रियों का भार वहन करना परिवार के मुखिया के वश में नहीं होता। कई बार परिवार को सीमित रखने का कारण भी अधिक पुत्रियों के जन्म में बाधक होता है। भ. ारतीय सामाजिक व्यवस्था की कुछ कुरीतियॉ ऐसी है। जो कन्या भ्रूण हत्या को बढ़वा देती है। यह प्रमुख समस्यायें निम्न है–

1. समाज में व्याप्त दहेज प्रथा की समस्या।
2. विभिन्न कुरीतियॉ व कुप्रथायें जो कन्या को निम्न स्थान प्रदान करती है।
3. परिवार को सन्तुलित करने लिए कन्या भ्रूण हत्या किया जाना।
4. जनसंख्या नियन्त्रण के लिये

अध्ययन का उद्देश्यः– जिले में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के साथ–साथ स्त्री पुरूश अनुपात में भी उल्लेखनीय अन्तर आया है। घटते लिंगानुपात की समस्या से पूरे प्रदेश के साथ–साथ सम्पूर्ण भारतवर्श भी प्रभावित है। इस समस्या ने मुरैना जिले में भी विकराल रूप धारण कर लिया है। इस सन्दर्भ में बनाया गया पी.एन.डी.टी. ऐक्ट भी अपनी सार्थकता खोता जा रहा है। एवं इस एक्ट के दुरूपयोग ने लिंगानुपात को कम करने में सहायता की है। इस षोध कार्य का मूल उद्देश्य इस समस्या का समाधान खोजना है। षोध कार्य के प्रमुख उद्देश्य निम्न है–

1. मुरैना जिले की विशिश्ट जनांकिकी पृश्ठभूमि में उसकी जनसंख्यात्मक प्रवृत्तियों तथा लिंगानुपात की समस्या का अध्ययन करना।

2. शिक्षा के स्तर एवं लिंगानुपात की समस्या का अध्ययन करना।
3. आर्थिक कारक जैसे बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर तथा लिंगानुपात की समस्या का अध्ययन करना।
4. विशिश्ट सांस्कृतिक व सामाजिक परिस्थितियॉ व लिंगानुपात की समस्या का अध्ययन करना।
5. जातीय बनावट व लिंगानुपात की समस्या।
6. सामाजिक कुरीतियॉ व कन्या भ्रूण हत्या।

पद्धतिशास्त्रः–

अध्ययन के लिये 300 महिलाओं (इकाइयों) का चयन स्तरीकृत दैव निदर्षन पर आधारित है। जिले की छह तहसीलों में से प्रत्येक तहसील से 50 महिलाओं को अध्ययन के लिये चुना गया है। ये वो महिलायें है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गर्भसमापन से जुड़ी है। 300 महिलाओं में से 150 महिलायें शिक्षित तथा 150 अशिक्षित महिलाओं का चयन अध्ययन के लिये किया गया है। तथ्यों का संकलन प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोों के द्वारा किया गया है। प्राथमिक स्त्रोतो वे है जिन्हें षोधकर्ता ने अध्ययन क्षेत्र में स्वंय जाकर सम्बन्धित व्यक्तियों से साक्ष. ात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राप्त किया है।

द्वितीय स्त्रोत के अन्तर्गत विभिन्न पुस्तकों, षोध प्रबन्ध ाों, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा अन्य सम्बन्धित साहित्य द्वारा तथ्यों का संकलन किया गया।

अध्ययन क्षेत्र

मुरैना जिला मध्यप्रदेश के पश्चिमोत्तर कोने में स्थित है, जो कि 25°55′ से 26°52′ उत्तरी अक्षांस तथा 77°8 से 78°34 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में भिण्ड तथा दक्षिण में ष्योपुर ग्वालियर व शिवपुरी जिलें से पश्चिम में चम्बल नदी जिले की सीमा बनाती हुई अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। समुद्र तल से इसकी ऊचाई 150 से 300 मीटर तक है। मुरैना जिले का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर 45 किमी तथा दक्षिण से पष्चिम की ओर 57 किमी तक है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4991 वर्ग किमी है।

मुरैना जिले की जनसंख्या में पुरूशों की संख्या महिलाओं की संख्या से अधिक है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार जिले में प्रति हजार पुरूशों पर महिलाओं की संख्या 839 है, जबकि मध्यप्रदेष में 930 महिलायें प्रति हजार पुरूश है। इस प्रकार राज्य की तुलना में जिले में महिला–पुरूश अनुपात कम है। मुरैना जिले की विभि. ान्न तहसीलों में स्त्री–पुरूश अनुपात निम्न सारिणी द्वारा प्रदर्षित है।

सारिणी क्रमांक 1

मुरैना जिले में स्त्री–पुरूश अनुपात –2001

तहसील	प्रतिहजार पुरूशों पर महिलाओं की संख्या	ग्रामीण	नगरीय
पोरसा	850	848	858
अम्बाह	828	824	853
मुरैना	805	787	837
जौरा	807	805	832
कैलारस	834	833	840
सबलगढ	846	845	848
जिला मुरैना	822	816	842

मुरैना जिले में सन् 1901 से ही परम्परागत रूप से महिलाओं की संख्या पुरूशों से कम रही है। निम्न सारिण ाी द्वारा 1901 से 2001 तक के लैंगिक अनुपात में हुये परिवर्तन को प्रदर्षित किया जा रहा है।

सारिणी क्रमांक 2

प्रति हजार पुरूशों पर स्त्रियों की संख्या

सन्	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
ग्रामीण	अप्राप्त	843	820	825	831	848	842	839	835	828	816	834
नगरीय	1007	942	857	825	844	864	806	825	827	826	842	858

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट है कि नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में स्त्री पुरूश अनुपात में निरंतर कमी आ रही है। नगरीय क्षेत्र में 1951 में कुछ सुधार दिखाई देता है। परन्तु 1961 में यह गिरावट सर्वाधिक है, सी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में 1921 से लेकर 1951 तक सुध ाार हुआ है। लेकिन 1961 से गिरावट आरम्भ होकर 2001 तक निरन्तर जारी है। ग्रामीण नगरीय अनुपात से ज्ञात होता है कि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या में गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तीव्र है ।

महिलाओं की संख्या में पुरूशों की जनसंख्या से कमी पूरे देश में, केवल कुछ दक्षिणी राज्यों को छोडकर, सभी राज्यों में है। राज्यों में महिलाओं की इस कम संख्या के लिये कोई निश्चित एवं संतोशप्रद स्पश्टीकरण नहीं दिया जाता है बल्कि इसके लिये कुछ सामाजिक आर्थिक कारण ाों को जिम्मेदार माना जा सकता है। जैसे –

1. कन्या शिशु हत्या
2. कन्या संतानों की उपेक्षा
3. बाल–विवाह
4. अपरिपक्व अवस्था में गर्भ धारण
5. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्रसूति केन्द्रों का अभाव
6. पौश्टिक भोजन का अभाव

इन कारणों को दूर करने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला संगठनों तथा सरका को मिले जुले प्रयास करने होगें।

निश्कर्श

प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेशण तथा विवेचना के आधार पर निम्नलिखित निश्कर्श प्राप्त किये गये–

1. शिक्षित महिलाओं में अशिक्षित महिलाओं की अपेक्षा जागरूकता का स्तर अधिक पाया जाता है।
2. महिला तथा उसके परिवार का सामाजिक आ. र्थिक स्तर बढ़ने से महिलाओं में जागरूकता स्तर में वृद्धि होती है।

3. शिक्षित महिलाओं में आयु वृद्धि के साथ–साथ जागरूकता स्तर में वृद्धि हुई जबकि अशिक्षित महिलाओं में आयु वृद्धि से कोई अन्तर नहीं आया।

4. एकाकी तथा संयुक्त परिवारों में रहने वाली शि. क्षित व अशिक्षित महिलाओं के जागरूकता स्तर में आंषिक अन्तर पाया गया।

5. रोजगार के आधार पर कार्यशील व घरेलू म. हलओं में शिक्षित महिलाओं में जागरूकता स्तर में अन्तर प्राप्त हुआ परन्तु अशिक्षित महिलाओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं था।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा रोजगार व आ. र्थिक स्तर का प्रभाव जागरूकता के स्तर पर पाया जाता है। परिवार के आकार से जागरूकता स्तर में कोई अ. ाक वृद्धि नहीं हुई जबकि आयु वृद्धि के आधार पर केवल शिक्षित महिलाओं का जागरूकता स्तर बढ़ा है। अशिक्षित महिलाओं के जागरूकता स्तर में कोई अन्तर नहीं पाया गया।

प्रस्तुत षोध कार्य के दौरान कन्या भ्रूण हत्या व पी0एन0ड. ी0टी0 एक्ट जागरूकता स्तर में कमी के लिये निम्नलि. खित समस्यायें उत्तरदायी पायी गयी जिन्हें सरकार व जनसहयोग के माध्यम से दूर किया जा सकता है–

1. महिलाओं का सामाजिक विकास अति आवश्यक है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ, मरीबी, वैवाहिक सम्बन्ध, लैंगिक असमानता,, पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी आदि प्रमुख है। शिक्षा महिलाओं में जागरूकता के लिये अति आवश्यक है। अशिक्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। यदि महिलाओं का षैक्षणिक स्तर सुधारा जाय तो निश्चित रूप से उनमें सामाजिक चेतना के स्तर में भी वृद्धि होगी।

2. परिवार के निर्णयों में न्यूनतम भागीदारी म. हलाओं को कमजोर बनाती है यद्यपि एकल परिवार बढ़ने से निर्णय में भागीदारी भी बढ़ना चाहिये परन्तु दुर्भाग्यवष पुरूशवादी मानसिकता उसे बढ़ने नहीं देती। प्रजनन सम्बन्ध अधिकार भी उसे प्राप्त नहीं होता।

3. सरकार द्वारा कानून बना देने मात्र से कानूनों का अनुपालन नहीं हो सकता अपितु इसके लिये आवश्यक है महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करना। महिला कानूनों के प्रति पुरूशों को भी संकीर्ण मानसिकता त्याग कर आगे आना होगा तभी समस्या को दूर किया जा सकता है।

4. सम्पत्ति में पुत्र व पुत्री को समान अधिकार प्रद. ान किया जाय जिसके पुत्र व पुत्री का भेद दूर हो सके तथा पुत्री का जन्म बोझ न समझा जाय।

5. चिकित्सकों को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी। मात्र पैसा कमाने के लिये उनका व्यवसाय नहीं है। लिंग निर्धारण में लिप्त चिकित्सकों के लिये भारतीय आयुर्विज्ञान परिशद द्वारा दण्ड की व्यवस्था की जाये, साथ ही पुलिस तथा न्याय पालिका ऐसे लोगों के प्रति सख्त रूख अपनाये।

6. मादा भ्रूण हत्या करने व करवाने वाले दोनों ही के प्रति पुलिस कठोर कार्यवाही करे। स्थानीय पुलिस व स्थानीय लोग दोनों के संयुक्त प्रयासेा कें से ऐसी घटनायें रोकने के प्रयास किये जाये।

7. प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया दोनों को समाज में जागरूकता लाने के लिये सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना होगा। इस विशय पर खुली बहस का आयोजन करें जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग षामिल हों, विशेशकर युवा।

8. एन.जी.ओ. (स्वंय सेवी संस्थाओं) का दायित्व है कि बालिका विरोधी विचारों को दूर करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में कार्य करें व जागरूकता पैदा करें। मुरैना जिले के कुछ गॉव ऐसे है जहॉ लिंगानुपात खतरनाक स्थिति में है। वहॉ ऐसे एन.जी.ओ. की विशेश भूमिका है।

9. स्रकार को महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से कुछ अभियान गर्भपात के दुश्परिणामों को बताने के लिये चलाये जाना चाहिए तथा बालिकाओं की विशिश्ट समस्याओं केा कैसे दूर करें, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

10. बाल विवाह तथा दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिये युवा वर्ग को जागरूक किया जाय. ` । बालिकाओं की षारीरिक असुरक्षा दूर करने के लिये पुलिस तथा समाज के सहयोग से कार्य करना होगा। इन समस्याओं पर नियंत्रण प्राप्त कर धीरे–धीरे समाप्त करना होगा। यह कार्य शिक्षा, पुलिस, न्यायपालिका व मीडिया सभी के संयुक्त प्रयासों से किया जा सकेगा।

इस प्रकार सभी के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप एक संतुलित व स्वस्थ समाज का सपना साकार किया जा सकता है। एक ऐसा समाज जिसमें नर–नारी एक समान है। उनकी नैसर्गिक विषेशताओं को रौंदा न जाय बल्कि उन्हें फलने व फूलने का मौका दिया जाय परिणामस्वरूप समाज उनकी सुगन्ध से सुगन्धित हो न कि जड़ मान्यताओं के कारण उनमें सड़ॉध पैदा हो जाय। स्त्री को भी मनुश्य समझा जाय। गर्भ में पलने वाले अबोध प्राणी की ऑखें खोलने के पूर्व हत्या न की जाय।

स्त्री पुरूश अनुपात यदि असंतुलित होगा तो उसके दुश्परिणाम भी समाज को भोगने ही पड़ेगे। अतः आदर्श समाज की स्थापना के लिये स्त्री पुरूश अनुपात में सन्तुलन होना अति आवष्यक है।

संदर्भ ग्रंथ

1. द्विवेदी, हरिहर निवास– मध्यभारत का इतिहास, प्रथम खण्ड संचालक सूचना विभाग, मध्य भारत, ग्वालियर

2. कुमार, प्रमिला– मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल

3. जिला जनगणना पुस्तिका, मुरैना जिला, ग्राम व नगर निर्देशिका 1981

4. जिला विकास पुस्तिका, जिला सांख्यिकी कार्यालय, जिला मुरैना

5. मध्यप्रदेश षासन दैनंदिनी 1997, षासकीय मुद्रण